





सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका-2025

जयपुर



कार्यालय संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
कलकट्रेट, जयपुर



सत्यमेव जयते

अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलक्टर, जयपुर
राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के कार्य को रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, ई-मित्र एवं आमजन के लिए सरल व सुगम बनाने के उद्देश्य से मार्गदर्शिका-2025 का प्रथम प्रकाशन किया जा रहा है।

इस मार्गदर्शिका में जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन प्रणाली की प्रक्रिया एवं प्रावधानों का विवेचन किया गया है साथ ही जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिनियमों/परिपत्रों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मार्गदर्शिका में वर्ष 2020 से 2024 तक पंजिकृत जन्म-मृत्यु, मृत जन्म एवं विवाह की घटनाओं का विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो जीवनांक सांख्यिकी, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं भावी योजनाओं के निर्धारण के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार, जीवनांक सांख्यिकी एवं इससे सम्बन्धित कार्यों में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों/संस्थाओं/शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रतिवेदन में सुधार लाने की दृष्टि से भेजे जाने वाले सुझावों का स्वागत है।

मई, 2025


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

मार्गदर्शक

श्री विनेश सिंघवी ⇒

मुख्य रजिस्ट्रार, निदेशक एवं संयुक्त शासन
सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
जयपुर

डॉ. सुदेश कुमार ⇒

अति.मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक
(जीवनांक), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
जयपुर

प्रेरणास्रोत

- डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ⇒ अति. मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर,
जयपुर
- श्रीमती प्रतिभा वर्मा ⇒ उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जिला परिषद जयपुर
- श्री मुकेश कुमार मूंड ⇒ अति जिला कलक्टर (उत्तर), जयपुर

संकलनकर्ता

- श्री बाबू लाल मीना ⇒ जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक, आर्थिक
एवं सांख्यिकी, जयपुर
- डॉ. सुदीप कुमावत ⇒ सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
जयपुर
- प्रमोद गुप्ता ⇒ सहायक सांख्यिकी अधिकारी
- विजय तंवर ⇒ कनिष्ठ सहायक

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ संख्या
	जयपुर एक नज़र में	1
	जीवनांक "एक दृष्टि में" 2025	2-4
1	सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली	5-11
2	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025	11-13
3	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009	13-15
4	जन्म-मृत्यु से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश	16-20
5	विवाह से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश	21-22
6	जन्म का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)	22-28
7	मृत्यु का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)	28-34
8	विवाह पंजीकरण	34-35
9	बच्चे का नाम जोड़े (ऑनलाइन आवेदन)	35-37
10	माता की आयु एवं जन्म क्रम के अनुसार जीवित जन्म	38
11	आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु	39-40
12	पहचान हेल्प डेस्क नम्बर	41
13	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण कार्यालयों का निरीक्षण	42
14	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन	43
15	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के अधिनियमों का प्रचार-प्रसार	44

जयपुर एक नज़र में

दूढ़ नदी के किनारे बसा जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगर तथा पूर्व के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर की स्थापना आमेर के कछवाहा वंश के शासक जयसिंह द्वितीय ने 18 नवम्बर, 1727 को की थी। इस सुनियोजित शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनकी विशिष्ट स्थापत्य कला ने जयपुर को देश-विदेश में अद्वितीय स्थान दिलाया। यह नगर 9 वर्गों के सिद्धान्त पर बसाया गया। शहर के चारों ओर कुल 7 दरवाजे हैं। यहाँ के भव्य महलों, राज प्रासादों, हवेलियों, वेधशाला, चौकड़ीनुमा बाजारों, हस्तशिल्प एवं रत्नाभूषण ने जयपुर शहर को पर्यटकों के लिए अनूठा आकर्षण का केन्द्र बना दिया है।

जयपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में 26,23' व 27,51' उत्तरी अक्षांश एवं 74,55' व 76,50' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में राजस्थान का सीकर, कोटपतली-बहरोड़, दक्षिण में टोंक जिला, पूर्व में अलवर व दौसा जिले तथा पश्चिम में डीडवाना-कुचामन व अजमेर जिले हैं।

जयपुर के पूर्व व उत्तर का क्षेत्र पर्वत श्रेणियों व बहुसंख्य शिखरों से भरा हुआ है, ये पहाड़ियाँ व शिखर अरावली पर्वत समूह के हैं। जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यप्रद है तथा विभिन्न स्थानों पर सर्दी व गर्मी अत्यधिक होती है। जिले की अधिकांश नदियाँ अपरिवार्षिक हैं। इनमें से बाणगंगा व साबी नदी महत्वपूर्ण हैं। सांभर झील, जिले की एक मात्र उल्लेखनीय प्राकृतिक झील है, जो देश में नमक का सबसे बड़ा स्रोत है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई सामान्यतया 122 से 183 मीटर है तथा भूगर्भीय जल का स्तर लगभग 70 मीटर है।

यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। जयपुर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 80 लाख से भी अधिक है। जिले को प्रशासनिक दृष्टि से 2 नगर निगम, 3 नगर परिषद, 12 नगर पालिका, 16 उपखण्ड, 21 तहसील, 13 उपतहसील, 19 पंचायत समिति, 498 ग्राम पंचायत, 134 गिरदावर सर्किल एवं 533 पटवार सर्किल में विभाजित किया गया है।

औद्योगिक दृष्टि से जयपुर राज्य का एक उन्नत जिला है। सीतापुरा, कनकपुरा, मानपुरा-माचेड़ी, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। जिले में विविध प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिनमें तांबा, नमक, डोलोमाईट, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, कांच और रेत मुख्य हैं। जयपुर जिला रत्नाभूषण, लाख व हाथीदांत का काम, सांगानेरी एवं बगरू छपाई, पीतल की नक्काशी, ब्लू पॉटरी, रत्नव्यवसाय, संगमरमर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

राजस्थान में जयपुर जिले की जीडीपी (सकल जिला घरेलू उत्पाद) वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर 212335 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर 6.60 प्रतिशत की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार योगदान कृषि और संबद्ध गतिविधियों का 11.26 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का 34.02 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का 54.72 प्रतिशत रहा है साथ ही अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 236666 रुपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2011-12 में 76588 रुपये थी।

जीवनांक "एक दृष्टि में" 2025

क्र. स.	मद	इकाई	जयपुर	सन्दर्भ अवधि
1. क्षेत्रफल एवं स्थिति				
I	क्षेत्रफल	वर्ग कि०मी०	9844	जनगणना 2011
II	जनसंख्या 2011	संख्या	6046835	"
III	कुल पुरुष	"	3163674	"
IV	कुल स्त्री	"	2883161	"
V	ग्रामीण	"	2644279	"
VI	नगरीय	"	3402556	"
VII	अनुमानित जनसंख्या	"	8145554	अप्रैल, 2025
VIII	कुल पुरुष	"	4212301	"
IX	कुल स्त्री	"	3933253	"
X	साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	प्रतिशत	75.08	जनगणना 2011
XI	ग्रामीण साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	"	67.62	"
XII	नगरीय साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	"	82.47	"
XIII	लिंग अनुपात (1000 पुरुषों पर स्त्रियाँ)	संख्या	911	"
XIV	शिशु लिंगानुपात	संख्या	862	"
2. प्रशासकीय इकाईया				
I	उपखण्ड	संख्या	16	अप्रैल 2025
II	तहसील	"	21	"
III	उपतहसील	"	13	"
IV	गिरदावर सर्किल	"	134	"
V	पटवार सर्किल	"	533	"
VI	पंचायत समिति	"	19	"
VII	कुल ग्राम पंचायत	"	498	"
VIII	नगर परिषद	"	3	"
IX	नगर पालिका	"	12	"
X	नगर निगम	"	2	"

3. जीवनांक के मुख्य सूचक				
I	जन्म दर	संख्या	23.02	वर्ष 2024
II	मृत्यु दर	"	7.70	"
III	शिशु मृत्यु दर	"	24.43	"
IV	लिंगानुपात	"	938	"
4. जन्म पंजीकरण				
I	कुल पंजीकरण	संख्या	53416	वर्ष 2024
II	बालक	"	27636	"
III	बालिका	"	25779	"
IV	ट्रांसजेण्डर	"	1	"
V	संस्थागत जन्म	"	52138	"
VI	गैर संस्थागत जन्म	"	1278	"
VII	जन्म ग्रामीण क्षेत्र	"	8818	"
VIII	जन्म शहरी क्षेत्र	"	44598	"
IX	मृत जन्म ग्रामीण क्षेत्र	"	24	"
X	मृत जन्म शहरी क्षेत्र	"	120	"
5. मृत्यु पंजीकरण				
I	कुल पंजीकरण	संख्या	21094	वर्ष 2024
II	पुरुष	"	12993	"
III	स्त्री	"	8101	"
IV	ट्रांसजेण्डर	"	0	"
V	संस्थागत मृत्यु	"	5326	"
VI	गैर संस्थागत मृत्यु	"	15768	"
VII	मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र	"	16543	"
VIII	मृत्यु शहरी क्षेत्र	"	4551	"
IX	शिशु मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र में (0 से 04 वर्ष)	"	140	"
X	शिशु मृत्यु शहरी क्षेत्र (0 से 04 वर्ष)	"	105	"
6. विवाह पंजीकरण				
I	कुल पंजीकरण	संख्या	30524	वर्ष 2024
II	शहरी	"	25947	
III	ग्रामीण	"	4577	

7.माता की आयु वर्गानुसार प्रसव				
I	19 वर्ष से कम आयु	संख्या	1643	वर्ष 2024
II	आयु वर्ग 20-24	"	25498	"
III	आयु वर्ग 25-29	"	20358	"
IV	आयु वर्ग 30 -44	"	6764	"
V	45 एवं अधिक आयु वर्ग	"	26	"
8. आयु वर्गानुसार मृत्यु				
I	1 वर्ष से कम	संख्या	142	वर्ष 2024
II	1 - 4	"	62	"
III	5 -14	"	140	"
IV	15 – 24	"	555	"
V	25 – 34	"	922	"
VI	35 - 44	"	1411	"
VII	45 - 54	"	2041	"
VIII	55 - 64	"	3419	"
IX	65 - 69	"	2236	"
X	70 वर्ष और अधिक	"	10066	"
9. रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र				
I	प्रशासनिक इकाई का नाम	"	जयपुर	वर्ष 2024
II	पंचायत समितियाँ	"	19	"
III	ग्राम पंचायतें	"	579	"
IV	शहरी निकाय	"	18	"
	(अ) नगर परिषद	"	4	"
	(ब) नगर पालिका	"	14	"
V	उप रजिस्ट्रार (राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी)	"	155	"
	(अ) ग्रामीण	"	134	"
	(ब) शहरी	"	21	"
VI	निजी चिकित्सालय	"	148	"
	(अ) ग्रामीण	"	54	"
	(ब) शहरी	"	94	"

नोट:- जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित डाटा पहचान पोर्टल से लिया गया है।

1.सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली

व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के अन्तराल में हुई समस्त व्यक्तिगत घटनायें जैसे जन्म, मृत्यु आदि को जीवनांक सांख्यिकी कहा जाता है। जीवनांक सांख्यिकी के सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत जारी जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं का वैधानिक रूप से रजिस्ट्रीकरण सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली कहलाता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में केवल वैधानिक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई जन्म, मृत्यु, मृत जन्म एवं विवाह की घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत राज्य में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण 1 अप्रैल, 1970 से प्रारम्भ किया गया है।

उपयोगिता

जन्म-मृत्यु पंजीयन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग राष्ट्र /राज्य के लिये जनसंख्या के अनुमान तैयार करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्धारण, शिशु मृत्यु, संक्रामक रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार, शिक्षण संस्थाएँ खोलने, पेयजल एवं विद्युतिकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये किया जाता है। अतः व्यक्ति एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली काफी सहायक सिद्ध हुई है।

जन्म प्रमाण पत्र का महत्त्व

जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश, वीजा प्राप्त करने, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने एवं सरकारी व गैर सरकारी सेवा में नौकरी आदि में आयु के प्रमाणीकरण आदि हेतु वैधानिक दस्तावेज़ है।

मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्त्व

मृत्यु का प्रमाण पत्र सम्पत्ति के उत्तराधिकार दावों, पेंशन, बीमा एवं बैंकिंग सेवाओं आदि के मामलों को निपटाने के लिए, सम्पत्ति के मामले के निस्तारण आदि में उपयोगी है।

1.1 रजिस्ट्रीकरण संगठन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रशासनिक विभागों से सम्बन्ध रखते हुए भी ये अधिकारी/कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण कार्य के लिये एक ही तन्त्र के अधीन होते हैं। राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग की दिनांक 12 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना द्वारा, **निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है।** इस अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के वॉल्यूम 23 के भाग प्रथम की संख्या 9 में दिनांक 27 मई, 1971 को हुआ। मुख्य रजिस्ट्रार के सहायक के रूप में संयुक्त निदेशक (जीवनांक) को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया हुआ है।

रजिस्ट्रार

(अ) ग्रामीण क्षेत्र- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव, ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नियुक्त किया हुआ है। इसका कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित होता है।

(ब) शहरी क्षेत्र- नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु के पद पर नियुक्त किया हुआ है।

उप रजिस्ट्रार

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी राजकीय चिकित्सालयों/सी.एच.सी/पी.एच.सी जहाँ जन्म अथवा मृत्यु की घटनाएं घटित होती है, उनके परिसर में होने वाली जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन हेतु उन्हें उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार

राज्य की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को उनकी पंचायत समिति क्षेत्र के लिये अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

ब्लॉक नोडल अधिकारी

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करवाने, मॉनिटरिंग करने एवं रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को पंजीकरण में आने वाली समस्या के समाधान करने हेतु राज्य के समस्त ब्लॉकों में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को उनके ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

जिले में पदस्थापित आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त/उप निदेशक को संबंधित जिले का जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर निगम के आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के लिये जिला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

उप मुख्य रजिस्ट्रार

प्रत्येक जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 27.06.1984 के अनुसार अपने-अपने जिलों के लिये अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) घोषित किया गया है तथा उन्हें जिले में रजिस्ट्रीकरण कार्य को जिला रजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से पूर्ण करवाने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

मुख्य रजिस्ट्रार

राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग की दिनांक 12 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना द्वारा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है।

भारत के महारजिस्ट्रार

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार ने एक महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है।

भारत सरकार ने राज्य में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन के लिये निम्न पदाधिकारी नियुक्त किये हैं

(अ) संयुक्त महारजिस्ट्रार:- निदेशक, जनगणना कार्य, निदेशालय राजस्थान को संयुक्त महारजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(ब) सहायक महारजिस्ट्रार:- भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार की सहायता के लिए जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों को सहायक महारजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

सूचनादाता (सूचक)

रजिस्ट्रार को जन्म-मृत्यु घटनाओं की सूचना देने हेतु निम्नलिखित पदों के कर्मचारियों को सूचक नियुक्त किया गया है

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
हैल्थ विजिटर्स (ए.एन.एम. प्रसाविका)	सफाई निरीक्षक
मलेरिया कर्मचारी	जमादार
परिवार नियोजन कर्मचारी	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
ग्राम स्वास्थ्य रक्षक	अन्य(जैसे श्मशान घाट पर लकड़ी बेचने वाले, कब्र खोदने वाले आदि)
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
आशा सहयोगिनी, दाई आदि	

1.2 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया

(अ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना

- राज्य में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 दिनांक 4.12.2000 से प्रभावी हैं। उक्त अधिनियम/नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:-
- सामान्य रजिस्ट्रीकरण-** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य में घटित जन्म, मृत्यु एवं मृत-जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन अनिवार्य है। परिवार में घटित जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना के सम्बन्ध में परिवार के मुखिया अथवा मुखिया की अनुपस्थिति में निकट सम्बन्धी द्वारा सम्बन्धित रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र में घटना के 21 दिवस के अन्दर सूचना देकर घटना का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कराया जा सकता है।
- रजिस्ट्रार ऐसी घटना का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति निःशुल्क जारी करेगा एवं अतिरिक्त प्रति विहित शुल्क संदाय करने पर प्राप्त की जा सकती है।
- किसी बालक/बालिका का जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम के भी कराया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र में बालक/बालिका के माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देकर अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक वर्ष तक निःशुल्क तथा एक वर्ष पश्चात् व 15 वर्ष तक 5/- रूपये शुल्क देकर बालक/बालिका के नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(ब) विलम्बित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण- उक्त नियमों एवं उप नियमों के तहत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का भी प्रावधान है। इसके तहत जिन जन्म/मृत्यु की घटनाएँ जिनकी सूचना घटना घटित होने के 21 दिवस के पश्चात प्राप्त होती है, के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये निर्धारित शुल्क सूचना दाता द्वारा रजिस्ट्रार को जमा कराना होगा और विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसको पूर्ण करना होगा।

विलम्बित रजिस्ट्रीकरण

भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रभाव में आने से पूर्व एवं बाद की विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में सुविधायें प्रदान की गई हैं। जिनके लिये निम्नलिखित कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करनी होती हैं-

जिस जन्म या मृत्यु की सूचना (इत्तला) रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 21 दिन के पश्चात् किन्तु 30 दिवस के भीतर दी जावे वह रजिस्ट्रार द्वारा 1/- रुपये के विलम्बित शुल्क का संदाय (भुगतान) करने पर रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

● **उप नियम 9(2) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण:-**

जिस जन्म या मृत्यु की सूचना (इत्तला) रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 30 दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर दी जावे वह केवल जिला रजिस्ट्रार/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से और 1/- रुपये के विलम्बित शुल्क का संदाय (भुगतान) करने और नोटेरी पब्लिक या इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र पेश करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

● **उप नियम 9(3) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण:-**

जो घटना जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश/अनुज्ञा पर एक रुपये के विलम्ब शुल्क का संदाय (भुगतान) करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

वर्तमान में ऐसी घटनाओं जिनके घटित होने के 30 दिवस के पश्चात् तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त होती है उसके लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्न अधिकारियों को राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है:-

अ. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक सम्बन्धित जिले के लिये।

ब. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर निकाय- एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम/नगर परिषद के आयुक्त को उसके प्राधिकृत कार्यक्षेत्र के लिये।

स. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी को प्राधिकृत कार्यक्षेत्र के लिये।

जन्म और मृत्यु की ऐसी घटनायें जिनकी सूचना एक वर्ष बाद रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्राप्त होती हैं, में अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार ने निम्न अधिकारियों को प्राधिकृत कार्य क्षेत्र के लिये अधिकृत कर रखा है:-

1. तहसीलदार
2. ए.सी.एम.
3. एस.डी.एम.
4. ए.डी.एम.
5. सिटी मजिस्ट्रेट
6. जिला कलेक्टर

1.3 अधिनियम की धारा 10(2) एवं 10(3) के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण पत्र

(अ) यह योजना वर्ष 1986 से राज्य के 186 राजकीय चिकित्सालयों में लागू की गई थी। वर्ष 2024 तक जिले में मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण पत्र की रिपोर्टिंग करने वाले चिकित्सालयों की संख्या 303 हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बीमारियों के वर्गीकरण-10 (आई.सी.डी.) के आधार पर प्रत्येक बीमारी के कारणों को कोड दिया गया है। मृत्यु के प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण इसी आधार पर दिया जाता है। मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाण पत्र उन चिकित्साधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं जिनकी चिकित्सा परिचर्या के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।

(ब) राजकीय/निजी चिकित्सालयों में पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन करते समय मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण कोड अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है जिसका सारणीयन एवं प्रतिवेदन का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है एवं एमसीसीडी का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

1.4 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की क्रियान्विति- राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबन्धों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों एवं दिये गये आदेशों के निष्पादन के लिये मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को राज्य में मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम एवं नियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण तथा जीवनांक सांख्यिकी के आंकड़ों का संकलन नियमित रूप से किया जाता है।

(अ) अपराधों का अभियोजन एवं जुर्माना- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के तहत जन्म, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम/अधिनियम के क्रियान्वयन में बिना युक्तिसंगत कारण के कोई व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी लापरवाही या उदासीनता प्रकट करता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिसके तहत जिला रजिस्ट्रारों द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार जिन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य में शिथिलता अथवा लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध शास्तियां आरोपित की है।

(ब) नियुक्तियाँ

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की गई है-

रजिस्ट्रारों की नियुक्ति:-

प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण इकाई में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की हुई है। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर निकाय का अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति:-

रजिस्ट्रीकरण कार्य को सुलभ बनाने के लिये जिले में 155 चिकित्सा इकाइयों (सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय)को उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

सूचकों की नियुक्ति:-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में नियुक्त सूचकों को प्रपत्र 1, 2 व 3 उपलब्ध कराये गये और निर्देश दिये गये कि वे अपने क्षेत्र में हुई जन्म व मृत्यु की घटनाओं को इन प्रपत्रों में इन्द्राज कर स्थानीय रजिस्ट्रार को निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रीकरण हेतु भिजवायें।

1.5 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

राज्य में आमजन को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की सुविधा अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने एवं कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एन.आई.सी. द्वारा तैयार किये गये वेबपोर्टल 'पहचान' के माध्यम से राज्य की समस्त रजिस्ट्रीकरण इकाइयों (ग्रामीण एवं शहरी) द्वारा उनके अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य ऑनलाइन किया जाकर सम्बन्धित को डिजिटल हस्ताक्षर/ई-

साईन युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये जा रहे है। पूर्व में पहचान पोर्टल का लिंक <https://pehchan.rajasthan.gov.in/> के स्थान पर वर्तमान में <https://Pehchan.rajasthan.gov.in> है आमजन को उसके आवास के नजदीक सरल, सुगम एवं शीघ्र ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में कार्यरत लगभग 8290 ई-मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से वेबपोर्टल 'पहचान' पर जन्म अथवा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने एवं रजिस्ट्रेशन पश्चात् ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

जयपुर के लगभग 148 निजी चिकित्सालयों को वेब पोर्टल पहचान पर ऑनलाईन आवेदन करने एवं रजिस्ट्रेशन पश्चात् ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन पत्र की स्थिति एवं प्रमाण पत्र की जानकारी उनके मोबाईल फोन पर एस.एम.एस.के जरिये दी जा रही है, प्रमाण पत्र ई-मेल के जरिये भी भेजा जा रहा है तथा प्रार्थी का ई-वोल्ट अकाउंट होने पर प्रमाण पत्र सीधे उनके ई-वोल्ट अकाउंट में चला जाता है, साथ ही 'पहचान' पोर्टल में आमजन को ई-साईन युक्त प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई।

'पहचान' वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रारों के सम्पर्क सूत्र, नियम-अधिनियम, परिपत्र एवं जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त वेबपोर्टल 'पहचान' पर सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली में सुधार हेतु आमजन से सुझाव का भी प्रावधान रखा गया है।

पहचान वेब पोर्टल की मोबाईल एण्ड्रॉयड ऐप प्रारम्भ की गई है। जिसके माध्यम से मोबाईल पर आवेदन करने/आवेदन की स्थिति एवं रजिस्ट्रारों के सम्पर्क सूत्र की जानकारी ली जा सकती है।

'पहचान' वेबपोर्टल आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स आधारित 'निक्की चैट बोर्ड' सेवा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओ मे प्रारम्भ की गई है जिसके द्वारा आमजन को सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नो की जानकारियाँ चैट सेवा के माध्यम से दी जा रही है।

1.6 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को शत प्रतिशत करने हेतु किए गए उपाय

(अ) प्रचार-प्रसार

- जिले में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु पंजीयन की जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार।
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में आवश्यक सुधार लाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- जिला स्तर से समय-समय पर विडियो कान्फ्रेंसिंग कर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य से जुड़े कार्मिकों से संवाद स्थापित किया गया एवं रजिस्ट्रेशन के शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये।
- जिला स्तर पर नियमित रूप से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रगति की मॉनिटरिंग की गई एवं रजिस्ट्रेशन कार्य में आ रही कठिनाईयों का त्वरित निराकरण किया गया।
- अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर के माध्यम से सभी जिले में आमजन में रजिस्ट्रेशन की जागरूकता हेतु अपील जारी करवाई गई।
- आमजन की सुविधा के लिए ऑनलाईन वेबपोर्टल 'पहचान' की एण्ड्रॉयड मोबाईल ऐप की सुविधा प्रदान की गई, जिससे आमजन को अपने स्मार्टफोन पर आवेदन करने, आवेदन का स्टेटस देखने, पंजीयन पश्चात् प्रमाण पत्र ई-मेल पर प्राप्त करने तथा रजिस्ट्रार से सम्बन्धित जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- जयपुर के लगभग 148 निजी चिकित्सालयों को ऑनलाईन आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई।

- रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार इकाइयों पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण के सुस्पष्ट बोर्ड लगवाये गये।
- जिला व ब्लॉक स्तर पर हेल्पडेस्क का गठन किया गया है।
- पंचायती राज विभाग एवं शहरी निकाय विभाग की बैठकों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को मुख्य एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है।

(ब) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाइयों का निरीक्षण

रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में रजिस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों व उनके कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाइयों के निरीक्षण किये गये एवं रजिस्ट्रेशन कार्य में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश एवं सुझाव दिये गये। राज्य स्तर से भी अधिकारियों द्वारा नगरपालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निरीक्षण किये गये। वर्ष 2024 में ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में 143 रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार इकाइयों के निरीक्षण किये गये एवं पाई गई कमियों में सुधार हेतु सम्बन्धित रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किये गये।

रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार इकाइयों के निरीक्षण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	निरीक्षणों की संख्या (वर्ष 2024 के दौरान)
1	संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	27
2	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय (समस्त जिला जयपुर)	116

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 दिनांक 07.02.2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मुख्य संशोधन निम्नानुसार है-

1. नियम 9 (2) के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात् व 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
2. नियम 9 (2) एवं (3) के अन्तर्गत जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात् परन्तु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा 30 दिवस पश्चात् परन्तु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात् दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. नियम 9 (2) में जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
4. नियम 16 (2) में चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम 1000 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
5. नियम 16 (क) में अपील का प्रावधान किया गया है, यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।
6. नियम 7 के अन्तर्गत मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र चिकित्सकीय संस्थान में मृत्यु होने पर प्रपत्र-4 में और चिकित्सीय संस्थान के अलावा मृत्यु होने पर प्रपत्र संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

समयानुसार घटना	पूर्व में			वर्तमान में		
	पंजीयन की प्रक्रिया	विलम्बित शुल्क		पंजीयन की प्रक्रिया	विलम्बित शुल्क	
		संस्थागत	गैर संस्थागत		संस्थागत	गैरसंस्थागत
21 दिवस के अन्दर पंजीकृत घटनाएं	(अ) संबन्धित रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत घटना होने पर) (ब) संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (गैर संस्थागत घटना होने पर)	निःशुल्क	निःशुल्क	(अ) संबन्धित रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत घटना होने पर) (ब) संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (गैर संस्थागत घटना होने पर)	निःशुल्क	निःशुल्क
21 दिवस के बाद एवं 30 दिवस तक	संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत/ गैर संस्थागत घटना होने पर)	1 रु०	1 रु०	संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत/ गैर संस्थागत घटना होने पर)	20 रु०	20 रु०
30 दिवस के बाद एवं 1 वर्ष तक	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र (नगर परिषद/ नगर पालिका) में जिला रजिस्ट्रार, कलेक्ट्रेट से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	1 रु०	1 रु०	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबन्धित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र (नगर परिषद/ नगर पालिका) में जिला रजिस्ट्रार, कलेक्ट्रेट से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	20 रु०	50 रु०
1 वर्षके बाद	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना (ग्रामीण/शहरी) होने पर संबन्धित तहसीलदार से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	1 रु०	1 रु०	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना (ग्रामीण/शहरी) होने पर संबन्धित तहसीलदार से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	20 रु०	100 रु०

पेनल्टी का प्रावधान

पेनल्टी लगाये जाने का कारण	किस पर लगायी जानी है	पूर्व में पेनल्टी	संशोधित पेनल्टी
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना अथवा जानबुझकर मिथ्या सूचना देना।	सूचनादाता यथा अस्पताल, जेल, अनाथालय, हॉस्टल, धर्मशाला, सेरोगेसी क्लिनिक, दत्तक एंजेसी आदि	50 रुपये	250-1000 रुपये
जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में बिना कारण इनकार करना।	सूचनादाता (रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार)	50 रुपये	250 रुपये
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना	सूचनादाता (गैर-संस्थागत) यथा घर का मुखिया अथवा नजदीकी रिश्तेदार	10 रुपये	250 रुपये

3. राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009

आमजन की सुविधा हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण के लिए राज्य में वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारम्भ की गयी है।

3.1 रजिस्ट्रीकरण संगठन (विवाह पंजीयन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति विवाह रजिस्ट्रार के रूप में करती है।

(अ) ग्रामीण क्षेत्र- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव, ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रार विवाह पंजीयन नियुक्त किया हुआ है। इसका कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित होता है।

(ब) शहरी क्षेत्र- नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त को रजिस्ट्रार विवाह पंजीयन के पद पर लगाया गया है।

जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2010 को समस्त जिला कलक्टर को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

महारजिस्ट्रार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मॉनिटर और पुनरीक्षित करने के लिए निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में इसके द्वारा पदाभिहित करती है।

3.2 आमजन/ ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम में चाही गई सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जावेगी तथा आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे:-
(अ) पहचान एवं पते के दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक की) संलग्न होनी चाहिए। पहचान दस्तावेज के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है:- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि जिनसे फोटो / पते की पहचान हो सके।
(ब) वर एवं वधू की संयुक्त फोटो (5x3 साईज) अथवा वर व वधू की फोटो कैमरे से खींचकर ।
- आवेदक से आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाओं की अनिवार्य रूप से पूर्ति कराई जावेगी ।
- 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें विकल्प पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् विवाह पंजीयन विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'पहचान' पोर्टल पर "आवेदन प्रपत्र" खुलने पर ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई सम्पूर्ण सूचनाओं की ध्यानपूर्वक सही-सही प्रविष्टि की जावेगी। ध्यान रहे ई-मित्र संचालक द्वारा सूचना प्रविष्टि करने में की गई गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इससे बचने के लिए प्रविष्टि की गई सूचनाएँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढ़वा दी जावे अथवा प्रिन्ट लेकर आवेदक के हस्ताक्षर करा लिये जावें।
- ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी फाईल (JPEG file) में अपलोड किया जावेगा।
- सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित किया जावेगा। अथवा ई-मित्र केन्द्र, वर-वधू विवाह पश्चात् जिस क्षेत्र में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हों, तो उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करेगा।

3.3 रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) प्राप्त आवेदन पत्र को अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात् पंजीकृत करेगा।
- आवेदन पत्र की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में कमी होने पर कमियों का अंकन करते हुए, रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा तिथि निर्धारित कर, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी, आवेदनकर्ता (वर एवं वधू) को रजिस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने की सूचना मोबाईल पर SMS के द्वारा दी जावेगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
वर एवं वधू प्रत्येक की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो
वर व वधू की संयुक्त फोटो (5" x 3" साईज)
वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज
वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र
विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु)
- शादी का कार्ड (वर व वधू दोनो पक्ष का) यदि उपलब्ध हो
- रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा वर एवं वधू दोनो के उपस्थित होने एवं मूल दस्तावेजों की पूर्ण जांच

कर सन्तुष्टि के पश्चात् विवाह का पंजीयन किया जावेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

- यदि आवेदन पत्र में कोई कमी है तो इसकी उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा दी जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में की गई आपत्ति का SMS प्राप्त होने पर सम्बन्धित ई-मित्र पर आवेदन पत्र में पाई गई आपत्ति / कमी की पूर्ति की जावेगी। इसके पश्चात् उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

3.4 रजिस्ट्रेशन शुल्क

- विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 30 दिन की अवधि में 10/- रूपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रूपये पंजीयन शुल्क देय होगा।

3.5 विवाह रजिस्ट्रेशन को शत प्रतिशत करने हेतु किए गए उपाय

- जिले में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह पंजीयन के लिए जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार।
- विवाह रजिस्ट्रेशन में आवश्यक सुधार लाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- जिला स्तर से समय-समय पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग कर विवाह रजिस्ट्रेशन कार्य से जुड़े कार्मिकों से संवाद स्थापित किया गया एवं रजिस्ट्रेशन के शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये।
- जिला स्तर पर नियमित रूप से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रगति की मॉनिटरिंग की गई एवं रजिस्ट्रेशन कार्य में आ रही कठिनाईयों का त्वरित निराकरण किया गया।
- विवाह रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने एवं समस्याओं के समाधान हेतु जिला/ब्लॉक स्तरीय हेल्पलाइन नम्बर जारी किए गए हैं।
- रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में रजिस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है

4. जन्म-मृत्यु से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश

क्र.स.	विषय	आदेश क्रमांक	विवरण
1	गतिमान यान में मृत्यु का पंजीकरण के सम्बन्ध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 125256 दिनांक 20.02.2018	यान का प्रभारी व्यक्ति प्रथम विराम स्थल पर इतीला देगा, यदि यान प्रभारी उक्त सूचना नहीं देता है तो मृत्यु का पंजीकरण अन्तिम संस्कार वाले क्षेत्र में होगा
2	एक अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक/44848/2016 दिनांक 01.02.2016	एक अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर किया जावे जन्म प्रमाण पत्र में एकल अभिभावक का नाम लिखा जावे दूसरे अभिभावक का रिक्त छोड़ा जावे
3	एकल अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन बाबत	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक/73223/2017 दिनांक 1-09-2017	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता द्वारा स्वयं के बालक/ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर बगैर कोई बाधा के प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।
4	अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करना	उपनिदेशक (सी.आर.एस) गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्रांक 03-07-2015	अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहाँ अनाथालय स्थित है। अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का जन्म स्थान माना जाए। एवं माता- पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में, माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में खाली रखा जायेगा।
5	मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के परिपत्र/01/ दिनांक 01.01.2024	प्रथम विवाहित पत्नी के जीवित रहते हुए अथवा प्रथम पत्नी से विधिक विवाह विच्छेद नहीं होने पर भी दूसरी स्त्री से किया गया विवाह कानूनी तौर पर अकृत है। और शून्य माना जायेगा एवं प्रथम पत्नी का नाम ही मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया जायेगा एवं मुस्लिम पुरुष मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में एक से अधिक परन्तु अधिकतम चार जो विवाह पंजीकरण के समय अस्तित्व में हो का नाम दर्ज किया जा सकता है।

6	जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के परिपत्र /11/ दिनांक 08-01-2020	बालक/बालिका का जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है। तथा बालक/बालिका के माता-पिता या संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5 विलंभ शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
7	गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण	उपनिदेशक (सी.आर.एस) गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्रांक 22.10.2012	ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जायेगा और मृत्यु की तारीख वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया तो ऐसे में यह उपयुक्त होगा की मृत्यु का स्थान वह स्थान हो सकता है जहाँ वादी न्यायालय में गया है।
8	लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 19085-19116 दिनांक 02.07.2002	पुलिस थाने में लापता व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से 07 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिये।
9	जन्म रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन बाबत	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक /63961/2017 दिनांक 07-02-2017	आवेदक को नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात रिकॉर्ड में केवल एक बार नाम में परिवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा
10	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लागिन आई.डी एवं पासवर्ड सुविधा अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने के संबंध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक /69605/2017 दिनांक 30-05-2017	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लागिन आई.डी एवं पासवर्ड अन्य व्यक्ति या ई-मित्र संचालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर इत्यादि को उपलब्ध नहीं कराने हेतु पाबन्द किया गया है।
11	मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक /388 दिनांक 26-07-2018	ऐसे प्रकरण जिसमें गलत तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कराये जाते है तो जिला रजिस्ट्रार उन प्रकरणों के तथ्यों की जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करावें तथा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए प्रमाण पत्र को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

			अधिनियम 1969 की धारा 15 एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त करवाए
12	जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की छूट	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक जीवनांक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 613 दिनांक 30.06.2022	मृतक की घटना का आवेदन करने पर मृतक का एवं मृतक के माता/पिता का जनआधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में, राजस्थान के बाहर निवासियों के लिए, वर या वधु दोनो में से एक राजस्थान के बाहर का निवासी होने की स्थिति में, दत्तक ग्रहीता राजस्थान के बाहर के निवासी होने पर, अनाथालय में निवास कर रहे व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन में, लावारिस/अज्ञात मृतक की स्थिति में जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की छूट प्रदान की गई है।
13	नवजात शिशु एवं शव की सूचना थाना प्रभारी द्वारा रजिस्ट्रार को देना	प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक. प.4 (1) गृह 6/2006 दिनांक 5/10/2006	सार्वजनिक स्थानों पर अभित्यक्त पाये गये नवजात शिशु या शव के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (5) के द्वारा स्थानीय पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर पर यह दायित्व डाला गया है कि वे ऐसे नवजात शिशु या शव की सूचना धारा 16 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को दें
14	जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निष्पादित शपथ पत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का परिहार सम्बन्धी अधिसूचना	शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.08.2010	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है। एतद्वारा राजस्थान राज्य के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित शपथपत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती हैं।

15	जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम संशोधन के सम्बन्ध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/1/34381/2015 दिनांक: 03.07.2015	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) उससे सन्तुष्ट है तब वह पहले से पंजीकृत घटना के विवरण में संशोधन कर सकता है तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः या प्ररूपतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है।
16	पहले से दर्ज की गई जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना में किसी व्यक्ति के नाम के पश्चात 'उर्फ' लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/1/34381/2015 दिनांक: 03.07.2015	यदि रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये साक्ष्य से एवं इस बात से सन्तुष्ट हो कि सम्बन्धित प्रविष्टि अनुचित रूप से की गई तब मूल नाम के साथ 'उर्फ' लगाकर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा बालक / बालिका की अंकतालिका को जन्म प्रमाण पत्र में तिथि परिवर्तन के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।
17	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को जन्म और मृत्यु के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/43996 दिनांक: 12.01.2016	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।
18	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निरस्तीकरण प्रक्रिया का विकल्प देने बाबत ।	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक (जीवनांक) के पत्र क्रमांक:- एफ 13/5/13/एनजी / वीएस / डीईएस / 2015/76175/47034 दिनांक: 09.03.2016	जनसुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है साथ ही निरस्तीकरण (Cancellation) के अधिकार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान किये गये हैं।

19	जन्म प्रमाण पत्र में माता के नाम के सामने सरनेम (उपनाम) लगाने के संबंध में।	सहायक निदेशक भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्र क्रमांक सं./ No.1/37/2004 - जीवनांक (सीआरएस) दिनांक 12.12.2006	जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 तथा तत्संबंधी राज्य नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु उससे संतुष्ट है तो वह जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकता है। इस संबंध में यदि चाहें तो आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।
20	गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना।	भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्र क्रमांक सं./No.1/7/2011-जीवनांक (सी.आर.एस) दिनांक 17.4.2012	यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश / विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा।
21	जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पिता का नाम हटाने हेतु	उप महारजिस्ट्रा (सी.आर.एस.) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सं./NO - 1/2/राज./2012-जीवनांक (सी.आर.एस.) दिनांक 12-07-2012	अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण पहले से दर्ज पिता के नाम को नहीं बदला जा सकता।

5. विवाह से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश


क्र. स	विषय	आदेश क्रमांक	विवरण
1	विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में	महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिवके पत्रांक एफ13/1/3/ अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस /2018/158दिनांक: 09/04/2019	जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है विवाह के साक्ष्य के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र नहीं दिये जाने एवं विवाह के अन्य सभी साक्ष्य रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार मृतक के माता पिता अथवा संरक्षक को विवाह के पंजीकरण के संबंध में 15 दिवस में शपथ पत्र देने एवं उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करेगा। रजिस्टर्ड नोटिस के पश्चात भी यदि मृतक पक्ष के माता, पिता अथवा संरक्षक शपथ पत्र नहीं देते है अथवा / और उपस्थित नहीं होते है तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन करवाया जावे:- "रजिस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करेगा एवं स्वयं की संतुष्टि उपरान्त विवाह के मृतक पक्ष के माता पिता / संरक्षक की उपस्थिति की छूट देकर नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं पंजीकरण रजिस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा।
2	विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में	महारजिस्ट्रार (विवाह) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के पत्र क्रमांक एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस /डीईएस/2015/1/55017/20 16 दिनांक:- 8-08-2016	विधवा /विधुर के विवाह पंजीकरण हेतु अनुष्ठापित हुए विवाह के जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है उसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र तथा विवाह सम्पन्न के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य यथा विवाह को अनुष्ठापित करवाये जाने वाले धार्मिक व्यक्ति या विवाह का कार्ड एवं स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्रों के आधार पर विवाह का पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जावे ।
3	विवाह प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में	शासन उप सचिव गृह विभाग ग्रुप-13 के पत्रांक 2006 दिनांक 11.09.2007	नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन निकलवाये एवं राशन कार्ड में नाम परिवर्तन करवाने के बाद विवाह प्रमाण पत्र का पंजीयन किया जा सकता है।
4	विदेशी नागरिकों,जिसमें पति पत्नी दोनो या पति एवं पत्नी दोनो में से एक विदेशी नागरीक होने पर	शासन उप सचिव गृह विभाग ग्रुप-13 के पत्रांक 2006 दिनांक 03.11.2011	अनुष्ठापित होने वाले विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है। एवं जिला कलक्टर जिला विवाह पंजीयन अधिकारी है।

5	वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत् ।	महारजिस्ट्रार (विवाह) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के पत्रांक एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस /डीईएस/2015/1/55017/20 16 दिनांक:- 8-08-2016	वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम होने पर आवेदक के दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात् पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह का पंजीयन किया जा सकता है। परन्तु साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता पिता /संरक्षक एवं अन्य के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित किया जाना भी वांछनीय है।
---	---	--	--

6. जन्म का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)

6.1 शहरी क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण

वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	26332	24261	2	50595
2021	25080	23158	0	48238
2022	24006	22331	1	46338
2023	23611	22444	0	46055
2024	23339	21693	1	45033




6.2 शहरी क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	चौमू	5353	4983	5452	5043	5421	4937	5184	4924	5539	5144
2	सांभर	110	120	57	65	99	88	171	173	195	214
3	चाकसू	1406	1330	1303	1187	1469	1434	1598	1495	1530	1364
4	कोटपूतली	6047	5413	5785	5185	5327	4781	5045	4491	4710	4220
5	जोबनेर	86	87	76	59	48	60	45	39	38	47
6	फुलेरा	2651	2582	2525	2404	2183	2121	1997	2050	2016	1881
7	विराटनगर	1430	1327	1289	1201	1159	1131	1122	956	967	889
8	शाहपुरा	2453	2249	2298	2148	2210	2163	2107	2118	2075	1988
9	रेनवाल	336	271	318	285	400	370	971	906	992	910
10	बगरू	519	482	433	424	519	473	532	650	528	550
11	पावटा	1374	1237	1130	1091	1129	986	945	873	906	877
12	बस्सी	1221	1173	1372	1228	1277	1146	1411	1311	1461	1420
13	नरायना	49	48	22	38	9	8	4	14	5	6
14	मनोहरपुर	528	457	447	388	382	406	363	328	324	293
15	फागी	525	505	581	542	610	543	590	565	478	459
16	वाटिका	518	410	498	477	454	410	454	447	449	427
17	दूदू	461	434	401	444	388	396	317	320	329	288
18	जमवारामगढ़	1265	1153	1093	949	922	878	755	784	797	716
	योग	26332	24261	25080	23158	24006	22331	23611	22444	23339	21693

6.3 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण


वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	5119	4755	0	9874
2021	4135	3956	0	8091
2022	4082	3978	1	8061
2023	4210	3944	0	8154
2024	4047	3864	0	7911



6.4 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार)


क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	कोटपूतली	13	21	13	19	17	19	9	17	10	7
2	विराटनगर	10	11	4	11	6	7	5	6	3	3
3	शाहपुरा	20	20	10	14	5	8	1	2	3	3
4	गोविन्दगढ़	653	625	548	560	741	671	597	612	547	517
5	सांभर	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0
6	दूदू	73	74	34	56	25	47	20	36	2	17
7	फागी	12	15	4	6	1	3	2	4	1	2
8	सांगानेर	150	121	82	62	88	97	77	76	79	86
9	झोटवाडा	582	505	468	466	501	484	532	471	653	591
10	आमेर	461	397	469	393	571	558	914	744	860	892
11	जमवा रामगढ़	139	129	106	92	64	60	43	42	41	41
12	बस्ती	2018	1805	1513	1383	1355	1328	1348	1219	1246	1117
13	चाकसू	18	12	2	10	4	8	4	4	3	5
14	पावटा	7	9	6	3	0	0	0	4	0	1
15	जालसू	193	215	148	139	124	144	139	141	106	125
16	तूंगा	4	1	2	1	2	0	1	0	0	0
17	कोटखवदा	152	160	154	158	76	76	66	53	46	40
18	माधोराजपुरा	288	276	214	223	185	169	176	212	220	174
19	मौजमाबाद	52	54	52	55	55	61	65	55	29	36
20	आँधी	20	30	40	51	29	29	22	54	24	34
21	किशनगढ़ रेनवाल	127	120	88	79	86	86	83	91	92	94
22	जोबनेर	126	155	176	175	146	123	105	101	82	79
	योग	5119	4755	4135	3956	4082	3978	4210	3944	4047	3864

शहरी एवं ग्रामीण जन्म पंजीकरण संस्थागत वर्ष वार



6.5 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण

वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	331	284	0	615
2021	171	113	0	284
2022	113	105	0	218
2023	86	79	0	165
2024	130	118	2	250




6.6 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	चौमू	9	6	7	2	1	3	0	1	0	2
2	सांभर	5	2	4	1	1	0	3	3	1	1
3	चाकसू	30	23	19	14	4	9	3	2	0	0
4	जोबनेर	3	2	4	1	1	1	1	0	1	0
5	फुलेरा	3	1	3	1	1	1	0	0	0	0
6	शाहपुरा	11	16	9	7	7	5	3	3	1	1
7	रेनवाल	9	10	6	6	4	7	1	7	0	2
8	बगरु	69	70	61	49	53	37	37	41	39	41
9	बस्सी	5	2	3	3	1	5	1	1	0	0
10	नरायना	14	9	6	3	7	6	6	4	0	1
11	मनोहरपुर	15	23	11	8	7	6	11	5	13	7
12	फागी	98	83	2	2	10	9	8	5	71	61
13	वाटिका	3	2	3	0	2	0	0	1	0	0
14	दूदू	4	1	6	1	0	3	3	0	1	1
15	जमवारामगढ़	10	7	7	5	5	4	5	1	0	0
16	कोटपूतली	30	15	11	4	4	3	2	2	0	0
17	विराटनगर	9	7	5	5	2	3	2	2	0	0
18	पावटा	4	5	4	1	3	3	0	1	3	1
	योग	331	284	171	113	113	105	86	79	130	118

6.7 ग्रामीण में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण


वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	1610	1207	1	2818
2021	1236	1009	0	2245
2022	828	674	2	1504
2023	662	560	2	1224
2024	561	484	2	1047



6.8 ग्रामीण में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	शाहपुरा	86	54	47	27	15	21	8	6	7	4
2	गोविन्दगढ	41	34	22	16	10	8	8	5	5	4
3	सांभर	27	17	25	16	12	6	5	1	3	3
4	दूदू	38	33	49	21	21	8	12	5	5	3
5	फागी	59	47	48	41	28	21	25	14	7	14
6	सांगानेर	131	93	91	75	53	52	32	28	16	28
7	झोटवाडा	78	63	63	47	36	34	21	23	18	5
8	आमेर	121	92	81	58	39	26	30	17	2	5
9	जमवारामगढ़	138	102	87	76	40	30	22	16	8	4
10	बस्सी	42	49	37	39	24	18	11	19	10	13
11	चाकसू	29	20	25	16	12	12	4	6	0	2
12	जालसू	131	80	90	98	84	90	73	72	98	84
13	तूंगा	53	28	18	25	13	7	2	9	2	3
14	कोटखवदा	37	28	31	15	12	13	7	7	4	0
15	माधोराजपुरा	179	176	244	253	286	221	314	261	333	286
16	मौजमाबाद	113	71	74	46	44	29	24	27	22	7
17	आँधी	64	41	40	31	17	20	20	9	5	6
18	किशनगढ रेनवाल	36	32	20	16	15	8	5	3	3	3
19	जोबनेर	46	28	19	19	15	9	12	7	1	4
20	कोटपूतली	50	46	39	26	24	13	4	4	6	2
21	विराटनगर	76	50	62	31	24	19	17	16	2	1
22	पावटा	35	23	24	17	4	9	6	5	4	3
योग		1610	1207	1236	1009	828	674	662	560	561	484


शहरी एवं ग्रामीण जन्म पंजीकरण (गैर संस्थागत) वर्ष वार



7. मृत्यु का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)

7.1 शहरी क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण

वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	729	338	0	1067
2021	1107	581	0	1688
2022	1228	573	0	1801
2023	1288	645	0	1933
2024	1602	804	0	2406




7.2 शहरी क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	चौमू	328	169	623	344	772	398	848	444	1063	544
2	सांभर	9	2	14	7	16	2	19	7	12	4
3	चाकसू	8	2	8	2	8	2	19	5	8	2
4	जोबनेर	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
5	फुलेरा	17	4	8	4	12	2	11	5	13	11
6	शाहपुरा	19	8	37	11	35	15	39	20	37	11
7	रेनवाल	19	5	16	4	5	3	7	5	14	10
8	बगरु	1	1	0	0	4	0	3	1	4	2
9	बस्सी	9	1	6	1	15	2	19	10	5	4
10	नरायना	38	31	54	28	31	14	3	4	6	0
11	मनोहरपुर	7	1	5	1	10	3	1	1	1	0
12	फागी	4	4	7	2	5	3	7	0	7	3
13	वाटिका	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0
14	दूदू	11	2	34	19	38	9	14	4	17	8
15	जमवारामगढ़	2	0	8	1	3	1	12	3	12	8
16	कोटपूतली	247	105	272	146	265	115	269	133	392	190
17	विराटनगर	2	2	5	2	3	0	1	0	0	1
18	पावटा	8	1	10	7	4	4	12	2	10	6
योग		729	338	1107	581	1228	573	1288	645	1602	804

7.3 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण


वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	852	363	0	1215
2021	981	495	0	1476
2022	960	411	0	1371
2023	1351	548	0	1899
2024	1964	951	0	2915



7.4 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार)


क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	शाहपुरा	4	0	3	1	1	0	3	0	4	0
2	गोविन्दगढ़	10	2	15	4	13	9	6	2	2	4
3	सांभर	2	0	3	3	2	0	2	2	1	4
4	दूदू	28	13	31	22	19	7	15	9	18	13
5	फागी	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सांगानेर	6	4	29	13	4	0	5	3	8	3
7	झोटवाडा	241	111	279	152	183	84	176	75	164	102
8	आमेर	463	194	542	250	665	277	1066	411	1680	787
9	जमवा रामगढ़	3	1	4	5	5	0	3	1	2	1
10	बस्सी	16	10	13	7	10	6	13	9	18	7
11	चाकसू	16	6	6	2	6	3	5	6	12	7
12	जालसू	0	0	2	1	1	3	4	1	2	1
13	तूंगा	1	0	2	3	5	4	5	6	4	2
14	कोटखवदा	7	3	7	4	14	4	11	4	5	2
15	माधोराजपुरा	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
16	मौजमाबाद	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
17	आँधी	28	9	23	12	15	7	19	11	24	5
18	किशनगढ़ रेनवाल	1	1	0	1	2	0	3	0	5	1
19	जोबनेर	2	1	2	1	1	0	1	1	1	2
20	कोटपूतली	4	1	1	0	1	2	4	1	2	3
21	विराटनगर	13	1	13	8	5	4	5	3	6	3
22	पावटा	3	2	6	5	6	1	1	3	5	3
योग		852	363	981	495	960	411	1351	548	1964	951

शहरी एवं ग्रामीण मृत्यु पंजीकरण (संस्थागत) वर्ष वार



7.5 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण

वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	1454	970	1	2425
2021	1633	1194	0	2827
2022	1362	889	0	2251
2023	1286	918	0	2204
2024	1282	856	0	2138




7.6 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार)

गैर संस्थागत मृत्यु											
क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	चौमू	160	107	144	125	166	115	159	93	148	81
2	सांभर	75	73	114	74	49	45	66	47	76	59
3	चाकसू	108	72	129	69	99	74	96	59	98	65
4	जोबनेर	42	33	39	43	33	22	37	34	27	16
5	फुलेरा	91	64	76	75	67	66	63	49	62	54
6	शाहपुरा	111	60	102	75	87	54	59	56	79	59
7	रेनवाल	66	51	75	80	72	50	77	68	89	61
8	बगरु	75	57	95	60	88	68	100	53	93	53
9	बस्सी	91	41	84	51	72	31	63	44	72	49
10	नरायना	12	5	13	13	15	6	32	30	40	45
11	मनोहरपुर	58	29	65	52	70	34	60	30	37	31
12	फागी	42	34	51	30	43	23	39	27	66	28
13	वाटिका	31	24	43	37	45	24	17	19	38	29
14	दूदू	59	40	69	44	60	29	67	38	52	22
15	जमवारागढ़	41	36	53	50	49	26	48	35	43	21
16	कोटपूतली	258	145	299	197	228	139	189	154	139	95
17	विराटनगर	56	29	69	55	36	34	43	34	50	27
18	पावटा	78	70	113	64	83	49	71	48	73	61
योग		1454	970	1633	1194	1362	889	1286	918	1282	856

7.7 ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण


वर्ष	जयपुर			
	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	8425	5493	0	13918
2021	9455	7031	0	16486
2022	8367	5370	0	13737
2023	7623	4947	0	12570
2024	8132	5469	0	13601



7.8 ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	शाहपुरा	516	327	552	419	492	309	415	286	422	316
2	गोविन्दगढ़	780	569	879	711	778	536	723	491	753	517
3	सांभर	343	223	366	310	321	201	289	182	304	227
4	दूदू	263	166	285	209	285	154	263	168	263	152
5	फागी	287	177	347	227	285	184	278	174	262	183
6	सांगानेर	469	313	532	436	501	325	412	289	545	309
7	झोटवाडा	385	241	376	281	334	217	325	224	416	246
8	आमेर	444	256	475	348	388	252	356	260	373	263
9	जमवा रामगढ़	412	323	482	368	422	289	394	238	354	232
10	बस्सी	490	330	602	443	511	331	467	292	519	336
11	चाकसू	275	186	313	228	298	208	269	157	297	192
12	जालसू	407	260	472	365	442	247	373	252	393	292
13	तूंगा	284	198	332	231	283	194	223	172	266	184
14	कोटखवदा	288	185	287	224	270	170	275	179	254	177
15	माधोराजपुरा	271	189	318	266	275	161	243	160	278	194
16	मौजमाबाद	361	238	411	300	386	245	373	236	396	281
17	आँधी	333	207	378	249	324	192	311	154	283	189
18	किशनगढ़ रेनवाल	340	249	394	310	362	236	344	239	373	258
19	जोबनेर	348	202	347	244	324	223	281	185	313	208
20	कोटपूतली	313	196	397	246	307	186	277	148	283	180
21	विराटनगर	438	220	469	328	427	267	396	263	410	293
22	पावटा	378	238	441	288	352	243	336	198	375	240
	योग	8425	5493	9455	7031	8367	5370	7623	4947	8132	5469

शहरी एवं ग्रामीण मृत्यु पंजीकरण (गैर संस्थागत) वर्ष वार



8. विवाह पंजीकरण

वर्ष	शहरी	ग्रामीण
2020	3476	18367
2021	3524	18308
2022	3107	15810
2023	2714	13983
2024	2026	9912

8.2 शहरी क्षेत्र में विवाह पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	चौमू	467	434	364	346	223
2	सांभर	109	144	140	150	103
3	चाकसू	280	249	254	222	198
4	कोटपूतली	684	629	514	508	393
5	जोबनेर	71	62	57	84	32
6	फुलेरा	163	155	127	107	77
7	विराटनगर	140	137	132	83	90
8	शाहपुरा	215	223	203	183	139
9	रेनवाल	170	157	188	156	122
10	बगरु	122	119	106	98	63
11	पावटा	149	203	165	150	129
12	बस्सी	325	426	365	182	128
13	नरायना	65	80	60	63	36
14	मनोहरपुर	159	173	121	128	106
15	फागी	63	63	70	50	58
16	वाटिका	88	55	38	30	26
17	दूदू	59	64	80	76	43
18	जमवारागढ़	147	151	123	98	60
योग		3476	3524	3107	2714	2026

8.3 ग्रामीण क्षेत्र में विवाह पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	कोटपूतली	615	618	589	481	328
2	विराटनगर	1123	1048	867	813	593
3	शाहपुरा	1468	1397	1263	1190	857
4	गोविन्दगढ़	2544	2165	1888	1585	1052
5	सांभर	717	695	573	532	411
6	दूदू	135	148	163	151	101
7	फागी	161	196	209	194	156
8	सांगानेर	741	727	728	625	438
9	झोटावाडा	815	728	612	540	361
10	आमेर	960	1012	812	766	525
11	जमवा रामगढ़	998	1183	953	803	607
12	बस्सी	1099	1251	1002	861	693
13	चाकसू	528	578	509	482	419
14	पावटा	826	832	694	607	413
15	जालसू	1222	1125	916	811	524
16	तूंगा	552	666	581	532	394
17	कोटखवदा	516	698	558	489	325
18	माधोराजपुरा	310	336	338	378	220
19	मौजमाबाद	513	513	465	379	289
20	आँधी	799	848	761	605	433
21	किशनगढ़ रेनवाल	911	860	749	671	446
22	जोबनेर	814	684	580	488	327
योग		18367	18308	15810	13983	9912

9 बच्चे का नाम जोड़े (ऑनलाइन आवेदन)

9.1 शहरी क्षेत्र बच्चे का नाम जोड़े

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	चौमू	121	450	494	458	708
2	सांभर	1	0	0	0	2
3	चाकसू	0	0	4	8	56
4	जोबनेर	0	6	8	3	4
5	फुलेरा	6	35	112	35	83
6	शाहपुरा	0	0	3	16	80
7	रेनवाल	0	18	22	123	192
8	बगरु	0	0	5	4	16
9	बस्सी	1	2	0	13	40
10	नरायना	0	0	0	1	1
11	मनोहरपुर	0	1	1	0	3
12	फागी	0	0	0	0	2
13	वाटिका	0	1	1	1	0
14	दूदू	0	0	0	1	0
15	जमवारामगढ़	0	1	2	0	1
16	कोटपूतली	0	0	33	171	407
17	विराटनगर	12	23	5	0	0
18	पावटा	1	2	24	17	8
योग		142	539	714	851	1603

9.2 ग्रामीण क्षेत्र बच्चे का नाम जोड़े

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	कोटपूतली	0	0	0	0	0
2	विराटनगर	0	0	0	0	0
3	शाहपुरा	0	0	0	0	0
4	गोविन्दगढ	13	26	37	34	33
5	सांभर	0	0	0	0	0
6	दूदू	0	0	0	1	0
7	फागी	0	0	0	0	0
8	सांगानेर	0	0	0	5	4
9	झोटवाडा	1	6	8	6	43
10	आमेर	4	8	21	10	56
11	जमवा रामगढ	0	0	1	2	0
12	बस्सी	16	26	49	21	82
13	चाकसू	0	0	0	1	0
14	पावटा	0	0	0	0	0
15	जालसू	1	0	1	1	1
16	तूंगा	0	0	0	0	0
17	कोटखवदा	0	3	1	0	2
18	माधोराजपुरा	0	1	6	2	4
19	मौजमाबाद	0	0	0	2	0
20	आँधी	0	0	0	3	2
21	किशनगढ रेनवाल	1	3	10	4	4
22	जोबनेर	1	14	9	2	5
योग		37	87	143	94	236

10. माता की आयु एवं जन्म क्रम के अनुसार जीवित जन्म

10.1 शहरी क्षेत्र

क्र. सं.	माता की आयु	2020	2021	2022	2023	2024
1	19 वर्ष से कम	1080	1257	1029	1186	1354
2	20-24	23801	23824	23818	22773	21307
3	25-29	13345	13571	13434	14327	15823
4	30-34	2183	2429	2800	3187	4378
5	35-39	363	405	462	504	690
6	40-44	63	65	53	68	100
7	45 एवं अधिक आयु	18	12	16	15	18
8	अवर्णित	19	15	7	4	1
9	योग	40872	41578	41619	42064	43671

10.2 ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	माता की आयु	2020	2021	2022	2023	2024
1	19वर्ष से कम	500	348	320	307	289
2	20-24	13453	9498	7043	6425	4153
3	25-29	7877	6192	5843	5240	4522
4	30-34	1217	1131	1071	1274	1299
5	35-39	236	213	218	236	258
6	40-44	24	32	27	35	36
7	45 एवं अधिक आयु	13	5	12	10	8
8	अवर्णित	10	7	6	2	1
9	योग	23330	17426	14540	13529	10566

11.आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु

11.1 शहरी क्षेत्र

क्र.सं.	आयु वर्ग	जयपुर			
		2023		2024	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	71	1.89	79	1.78
2.	1-4 वर्ष	17	0.45	22	0.50
3.	5-9 वर्ष	21	0.56	16	0.36
4.	10-14 वर्ष	12	0.32	27	0.61
5.	15-19 वर्ष	34	0.91	45	1.01
6.	20-24 वर्ष	71	1.89	69	1.55
7.	25-29 वर्ष	81	2.16	97	2.18
8.	30-34 वर्ष	103	2.74	112	2.52
9.	35-39 वर्ष	133	3.54	149	3.36
10.	40-44 वर्ष	137	3.65	160	3.60
11.	45-49 वर्ष	137	3.65	160	3.60
12.	50-54 वर्ष	239	6.36	417	9.39
13.	55-59 वर्ष	383	10.20	374	8.42
14.	60-64 वर्ष	447	11.90	469	10.56
15.	65-69 वर्ष	404	10.76	439	9.89
16.	70 व अधिक	1465	39.01	1805	40.65
योग		3755	100.00	4440	100.00

11.2 ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	आयु वर्ग	जयपुर			
		2023		2024	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	17	0.12	63	0.38
2.	1-4 वर्ष	32	0.22	40	0.24
3.	5-9 वर्ष	42	0.29	29	0.18
4.	10-14 वर्ष	53	0.36	68	0.41
5.	15-19 वर्ष	163	1.11	187	1.13
6.	20-24 वर्ष	233	1.58	254	1.53
7.	25-29 वर्ष	303	2.06	316	1.91
8.	30-34 वर्ष	342	2.32	397	2.40
9.	35-39 वर्ष	421	2.86	535	3.23
10.	40-44 वर्ष	493	3.35	567	3.43
11.	45-49 वर्ष	493	3.35	567	3.43
12.	50-54 वर्ष	764	5.19	896	5.41
13.	55-59 वर्ष	982	6.67	1059	6.40
14.	60-64 वर्ष	1367	9.29	1516	9.16
15.	65-69 वर्ष	1639	11.14	1797	10.86
16.	70 व अधिक	7369	50.08	8260	49.91
योग		14713	100.00	16551	100.00

12. पहचान हेल्पडेस्क नम्बर

क्र.सं.	जिला/ब्लॉक का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाइल नंबर	दूरभाष नंबर
1	कार्यालय संयुक्त निदेशक	श्री बाबूलाल मीना	9414191714	01412203672
2	कार्यालय संयुक्त निदेशक	डॉ सुदीप कुमावत	9928232310	01412203672
3	कार्यालय संयुक्त निदेशक	श्री प्रमोद गुप्ता	9828826555	01412203672
4	कार्यालय संयुक्त निदेशक	सुश्री ममता खत्री	8005963908	01412203672
5	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, आमेर	सुश्री दीपेश कंवर	9414391551	01412530893
6	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सांगानेर	श्री मुकेश चन्द जोशी	9460376386	01412733000
7	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय झोटवाड़ा	श्री हनुमान सिंह जाट	9462213889	01412341812
8	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सांभर	श्री विपिन बिहारी शर्मा	9530368713	01425229565
9	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कि. रेनवाल	श्रीमती किरण यादव	6376525258	-
10	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जोबनेर	श्री सुनील कुमार पारीक	9414774060	-
11	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जालसू	सुश्री दिव्या शर्मा	9413616669	-
12	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, गोविन्दगढ़	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान	9829181562	01423230027
13	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, शाहपुरा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	9782132890	01422272311
14	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जमवारामगढ़	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	9875181836	-
15	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, आंधी	श्री रंग लाल मीणा	9057744028	-
16	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, बस्सी	श्री राजबिहारी मौर्य	9723904564	-
17	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, तुंगा	श्री गोविन्द नारायण जग्रवाल	9829218310	-
18	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, चाकसू	श्री राजकुमार महेन्द्रा	9414337331	01429243966
19	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कोटखावदा	श्रीमती खुशबू चौधरी	8742844134	-
20	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, फागी	श्री दिलीप रेसवाल	9460192428	01430294038
21	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, माधोराजपुरा	श्रीमती मंजू शर्मा	9664417559	-
22	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, दूदू	श्री राकेश शर्मा	8946820087	01428277277
23	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मौजमाबाद	श्री अशोक गोल्या	7073729940	-

14. जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यशालाओ का आयोजन



प्रपत्र संख्या 1 (जन्म रिपोर्ट)

(नियम 5 देखिए)

(अनुदेशों के लिये नीचे देखें।)



रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार

नगर निगम/नगर निकाय/ग्राम संघात

(जहाँ बच्चा पैदा हुआ है)

(सूचनादाता द्वारा मर जाना है)

पंजीयन का रिकॉर्ड नम्बर

(पंचायत केमेटेरि से सूचित)

1. जन्म तारीख (शिशु के जन्म की वास्तविक तारीख माह और वर्ष लिखिए तारी 01.01.2022)

2. लिंग (✓ का निरान लगायें)

3. शिशु का विवरण: (यदि नाम नहीं रखा गया हो तो रिक्त छोड़ दें)

(क) नाम (हिन्दी में) (यदि कोई हो) (अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में (If any)

(ख) अक्षर नम्बर: (यदि उपलब्ध हो)

4. पिता का विवरण:

(क) पिता का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में

(ख) अक्षर नम्बर: (यदि उपलब्ध हो)

(ग) मोबाइल नम्बर

(घ) ई-मेल

5. माता का विवरण:

(क) माता का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में

(ख) अक्षर नम्बर: (यदि उपलब्ध हो)

(ग) पतिवार का जन्म अक्षर काई संख्या: (यदि उपलब्ध हो)

(घ) मोबाइल नम्बर

(ङ) ई-मेल

6. बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता:

वार्ड संख्या (हाउस के मामले में यदि उपलब्ध हो) शहर/गाँव/उप-जिला/तहसील/जिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोड

7. माता-पिता का स्थाई पता: (हिन्दी में)

वार्ड संख्या (हाउस के मामले में यदि उपलब्ध हो) शहर/गाँव/उप-जिला/तहसील/जिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोड

(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में

House No. Locality

Ward No. (In case of town & if available) Town/Village Sub-district/Tehsil District

State/Union Territory PIN Code

8. जन्म स्थान (एम्प्लुमेंट प्रॉविडेंट 1 या 2 या 3 पर ✓ का निरान लगायें और कौन-कौन-सा उपलब्ध/संस्था का नाम और पता या घर या अन्य स्थान का पता जहाँ बच्चा जन्म हुआ है लिखें)

1. अस्पताल/संस्था का नाम एवं पता

2. घर 3. अन्य स्थान (संस्था):

वार्ड संख्या (हाउस के मामले में यदि उपलब्ध हो) शहर/गाँव/उप-जिला/तहसील/जिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोड

9. सूचनादाता का विवरण:

(क) नाम

(ख) अक्षर नम्बर: (यदि उपलब्ध हो)

(ग) मोबाइल नम्बर

(घ) ई-मेल

(ङ) पता

वार्ड संख्या (हाउस के मामले में यदि उपलब्ध हो) शहर/गाँव/उप-जिला/तहसील/जिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोड

10. माता का निवास स्थान शहर एवं गाँव: (स्थान जहाँ प्रायः माता रहती है। यह उस स्थान जहाँ शिशु का जन्म हुआ है से अलग हो सकता है। उपयुक्त प्रविष्टि पर ✓ का निरान लगायें और 'शहर' या 'गाँव' का नाम लिखें)

शहर/गाँव उप-जिला/तहसील/जिला

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोड

प्रपत्र संख्या 1 पूर्ण करने के लिए अनुदेश: जन्म रिपोर्ट

- मद सं. अनुदेश
- दिनांक, जहाँ कहीं भी आती है, रिपिट-नाम-व्यवस्था कम्प्लायंस में उपस्थिति की जायेगी, जहाँ रिपिट दो अंकों में दिनांक, नाम दो अंकों में मास और वर्षद्वय धार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहाँ कहीं भी दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहाँ पूर्णरूप में वर्ष 01-01-2022 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियाँ करने हेतु अंग्रेजिक/मुसलमान वर्षों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया जायेगा।
 - 'पुरुष' या 'स्त्री' या 'उपस्थिति' (ट्रान्सजेन्डर) का निरान लगायें।
 - जन्म जहाँ कहीं भी आता है, (प्रथम नाम), (मध्य नाम) एवं (अंतिम नाम) के रूपनिधान में उपस्थित किया जायेगा, जहाँ पूर्ण नाम (रिपिट नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अक्षरवर्ध है। (प्रथम नाम) या (मध्य नाम) या (अंतिम नाम) में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिये। यदि शिशु का नाम नहीं रखा गया है, तो रिक्त छोड़ दें।
 - जन्म का रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार शिशु के नाम के विना किया जा सकता है। तथापि, शिशु का नाम रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार के 12 मास के भीतर, बिना प्रभार के, अंतःस्थापित किया जा सकता है।
 - यहाँ जहाँ कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का नाम, जिला, उप-जिला/तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड संख्यांक (हाउस के मामले में यदि उपलब्ध हो), पिनकोड (मोबाइल), मकान संख्यांक और पिन कोड भरें।

- धर्म (प्रांति धर्म दर्ज करें हिन्दू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन या अन्य (शिशु निर्दिष्ट करें))
- (क) पिता का धर्म (ख) माता का धर्म
- पिता का वैवाहिक स्तर 13. माता का वैवाहिक स्तर
- पिता का व्यवसाय 15. माता का व्यवसाय
- विवाह के समय माता की आयु (पूर्व वर्ष में) (यदि एक से अधिक बार विवाह किया है तो प्रथम विवाह के समय की आयु प्रविष्टि की जाये)
- इस शिशु के जन्म के समय माता की आयु (पूर्व वर्ष में)
- इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित जन्म शिशुओं की संख्या (पूर्व विवाहों से जीवित जन्म शिशुओं की संख्या, यदि कोई हो, सम्मिलित करें)
- प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या (कौन-सी परिचर्या में से सम्मिलित पर ✓ का निरान लगायें)
- (1) स्वाभाविक सहायता (2) संलग्नता-निजी या गैर सरकारी (3) डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दार्ष्ट
- (4) परम्परागत जन्म परिचर्या (5) संस्की या अन्य द्वारा
- प्रसव पद्धति: (निम्न प्रविष्टियों में से सम्मिलित पर ✓ का निरान लगायें)
- (1) प्राकृतिक (2) सिजैरियन (3) कोसेसप/केसुस
- जन्म के समय शिशु का भार (कि.ग्रा./ग्राम में) (यदि उपलब्ध है)
- नर्मत्वस्वी की अवधि (सप्ताहों में)

घोषणा

मैंने अपनी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास के अनुसार सही जानकारी प्रदान की है। मुझे मालूम जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम 1969 (वर्ष 2023 में संशोधित) की धारा 23 के अंतर्गत शासित की जानकारी है। मैं अक्षर प्रमाणिकरण के माध्यम से पद्यान प्रमाणित करने के लिए अक्षर (लिखित और अन्य लिखित) नाम और संकेतों का संक्षिप्त परिचय अधिनियम 2016 के तहत सक्षम हो रहा हूँ/रहती हूँ।

(सभी कॉलम 1 से 22 तक पूरा करने के बाद, सूचनादाता हस्ताक्षर मग्य तारीख करेंगे)

दिनांक: D D M M Y Y Y Y

सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगुल निशानी (सब लय क)

कार्यालय उपयोग हेतु
(रजिस्ट्रार द्वारा मर जाना है)

रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार संख्या

रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार की तारीख D D M M Y Y Y Y

रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार इकाई

जिला	नाम	कोड नम्बर
उप-जिला/तहसील		
शहर/गाँव		

जन्म की तारीख D D M M Y Y Y Y

लिंग: पुरुष/स्त्री/ट्रान्सजेन्डर

जन्म का स्थान 1. अस्पताल/संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान

रिपटरी (यदि कोई हो) :-

रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

नोट: (एक से अधिक जन्म के मामले में, प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग फॉर्म भरें और ऊपर कॉलम में रिपटरी कॉलम में जुड़वा जन्म या द्वितल जन्म अदि जैसा मामला हो, लिखें)

हमारा लक्ष्य - जन्म हो या मरण, शत प्रतिशत पंजीकरण

टोल फ्री नं. 1800-180-6785

ई-मेल : jh-vital.dcs@rajasthan.gov.in, pechchan.raj@gov.in

वेबसाइट - <https://pechchan.raj.nic.in>

- 8 जन्म स्थान के लिए सम्मिलित प्रविष्टि पर सही का निरान लगायें
- अस्पताल/संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान
 - अस्पताल/संस्था का नाम और पता या घर या अन्य स्थान का पता जहाँ शिशु का जन्म हुआ है, लिखें।
 - माता के निवास का शहर या ग्राम स्थान जहाँ प्रायः माता रहती है। यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है। पर का पता प्रविष्टि करना अपेक्षित नहीं है।
 - किष्का का स्तर - निम्नलिखित में से कोई एक लिखें-
 - पूर्व प्राथमिक 6. कक्षा 5 11. कक्षा 10 16. स्नातक/पूर्व स्नातक 21. शिक्ल विना औद्योगिक किष्का
 - कक्षा 1 7. कक्षा 6 12. कक्षा 11 17. स्नातकोत्तर डिप्लोमा 22. अतिशिक्षित
 - कक्षा 2 8. कक्षा 7 13. कक्षा 12 18. मास्टर/स्नातकोत्तर
 - कक्षा 3 9. कक्षा 8 14. आई.टी.आई. 19. एम.फिल.
 - कक्षा 4 10. कक्षा 9 15. डिप्लोमा/प्रमाणपत्र 20. डॉक्टरेट या अधिक
 (किष्का का पूर्ण पूरा स्तर प्रविष्टि करें उदाहरणार्थ यदि कक्षा 7 तक अध्ययन किया है किन्तु केवल कक्षा 6 उत्तीर्ण की है, तो कक्षा 6 लिखें)
 - यद्यपि - निम्नलिखित में से कोई एक लिखें।
 - कुक्क 2. कुपि मजदूर 3. दैनिक मजदूर/उपार्जित करने वाला (कुपि मजदूर के अलावा) 4. एकल/पारिवारिक कर्मकार/स्वनिर्देशित 5. नियोजक 6. सरकारी कर्मचारी 7. निजी कर्मचारी (परिचय साहचर्य के अधीन) 8. परिवार साहचर्य 9. गैर-कर्मकार
- रिपटरी :- सूचनादाता यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म रिपोर्ट प्रारम्भ में कोई भी मर्य ग्यासंभार, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

प्रपत्र संख्या 2 (मृत्यु रिपोर्ट)
(नियम 5 देखिए)
(अनुदेशों के लिये नीचे देखें।)



रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार
नगर निगम/नगर निकाय/ग्राम पंचायत
(यहाँ घटने का स्थान दर्शाएँ)

पंजीयन का रेफरेंस नम्बर
(पहचान केबोर्ड से सृजित)

सूचनादाता द्वारा भरा जाना है।

- मृत्यु की तारीख
- मृतक का विवरण
(क) नाम : (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)
(ग) जन्म की तारीख : (यदि उपलब्ध हो)
(घ) आयु
- लिंग (✓ का निशान लगायें)
- माता का विवरण
(क) माता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)
(ग) मोबाइल नम्बर
(घ) ई-मेल
- पिता का विवरण :
(क) पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)
(ग) मोबाइल नम्बर
(घ) ई-मेल
- जीवनसाथी (पति/पत्नी) का विवरण :
(क) नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)
(ग) परिवार का जन आधार कार्ड संख्या : (यदि उपलब्ध हो)
(घ) जन्म की तारीख : (यदि उपलब्ध हो)
(ङ) आयु : (पूर्ण वर्षों में)
(च) मोबाइल नम्बर
(छ) ई-मेल

D D M M Y Y Y Y

प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
First Name	Middle Name	Last Name
D D M M Y Y Y Y		

पुरुष स्त्री ट्रांसजेंडर

प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
First Name	Middle Name	Last Name
D D M M Y Y Y Y		

प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
First Name	Middle Name	Last Name
D D M M Y Y Y Y		

प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
First Name	Middle Name	Last Name
D D M M Y Y Y Y		

- मृत्यु के समय मृतक का पता :
मकान संख्या _____ मोहल्ला _____
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) _____ शहर/गाँव _____ उप जिला/तहसील _____ जिला _____
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
House No. _____ Locality _____
Ward No. (In case of town & if available) _____ Town/Village _____ Sub-district Tehsil _____ District _____
State/Union Territory _____ PIN Code _____
- मृतक का स्थायी पता:
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) _____ शहर/गाँव _____ उप जिला/तहसील _____ जिला _____
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में
House No. _____ Locality _____
Ward No. (In case of town & if available) _____ Town/Village _____ Sub-district Tehsil _____ District _____
State/Union Territory _____ PIN Code _____
- मृत्यु का स्थान (उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 पर का निशान लगायें और नीचे अस्पताल/संस्था का नाम और पता या घर या अन्य स्थान का पता जहाँ मृतक की मृत्यु हुई है लिखें)
1. अस्पताल/संस्था का नाम एवं पता _____
2 घर _____ 3 अन्य स्थान (पता) : _____ मकान संख्या _____ मोहल्ला _____
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) _____ शहर/गाँव _____ उप जिला/तहसील _____ जिला _____
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____

- सूचनादाता का विवरण:
(क) नाम _____
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो) _____
(ग) परिवार का जन आधार कार्ड संख्या : (यदि उपलब्ध हो) _____
(घ) मोबाइल नम्बर _____
(ङ) ई-मेल _____
(च) पता _____
मकान संख्या _____ मोहल्ला _____
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) _____ शहर/गाँव _____ उप जिला/तहसील _____ जिला _____
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____
- मृतक का निवास स्थान शहर एवं गाँव (स्थान जहाँ मृतक वास्तव में रहता था, यह उस स्थान से अलग हो सकता है जहाँ उसकी मृत्यु हुई है। उपयुक्त प्रविष्टि पर का निशान लगायें और शहर या गाँव का नाम लिखें)
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) _____ शहर/गाँव _____ उप जिला/तहसील _____ जिला _____
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____
- धर्म [उचित धर्म दर्ज करें हिन्दू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन या अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)] _____
- मृतक का व्यवसाय : _____
- मृत्यु से पूर्व प्रदान किया गया चिकित्सीय उपचार (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित पर ✓ का निशान लगायें)
(1) संस्थान (2) संस्थान के अतिरिक्त अन्य चिकित्सीय उपचार (3) कोई चिकित्सीय उपचार नहीं किया गया।
- क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है? (कृपया दी गई प्रविष्टियों में से समुचित पर का निशान लगायें)
(1) हाँ (2) नहीं
- क्या मृतक का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण (किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु के मामले में चिकित्सीय रूप से प्रमाणित या अप्रमाणित का विचार किए बिना) _____
- यदि मृतक स्त्री है, क्या मृत्यु गर्भवती रहने के दौरान, प्रसव के समय या गर्भवती के पर्यवेक्षण के दौरान हुई है (कृपया निर्दिष्ट करें)?
(1) हाँ (2) नहीं
- क्या मृतक छुपान का आरोपी था, यदि हाँ तो कितने वर्षों से? _____
- क्या किसी भी रूप में तस्करी/चबाने का आरोपी था, यदि हाँ तो कितने वर्षों से? _____
- क्या किसी भी रूप में सुरक्षा (पान मसाला सम्मिलित करते हुए) चबाने का आरोपी था, यदि हाँ तो कितने वर्षों से? _____
- क्या मरिदरपान का आरोपी था, यदि हाँ तो कितने वर्षों से? _____

ध्यान

- मेरे अगले सर्वाधिकारों और विचारों के अनुसार सही जानकारी प्रदान की है। मुझे गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रारकण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में संशोधित) की धारा 23 के अन्तर्गत शासिकाओं की जानकारी है। मैं आधार प्रमाणिकरण के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार वितीय और अन्य संचिडी ताल और संचिडी का लक्षित परिधान अधिनियम, 2016 के तहत सचनीय देता हूँ/देती हूँ।
- मेरे सर्वोच्च ज्ञान और जानकारी के अनुसार, मृतक के आधार का ब्यौटा उपलब्ध नहीं है।
(सभी कॉलम 1 से 21 तक पूरा करने के बाद, सूचनादाता हस्ताक्षर मात्र तैयार करेंगे)

दिनांक D D M M Y Y Y Y

सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगुला निशानी (सह एवं क)

कार्यालय उपयोग हेतु
(रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाना है)

रजिस्ट्रार संख्या _____

रजिस्ट्रार की तारीख D D M M Y Y Y Y

रजिस्ट्रार संख्या _____

विवरण	नाम	कोड नम्बर
जिला		
उप-जिला/तहसील		
शहर/गाँव		

मृत्यु की तारीख D D M M Y Y Y Y

लिंग: पुरुष/स्त्री/ट्रांसजेंडर

मृतक की आयु _____

मृत्यु का स्थान 1. अस्पताल/संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान

रिपोर्ट (यदि कोई हो) :- _____

मृत्यु का कारण (संकेत 4A के अनुसार) _____

रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

हमारा लक्ष्य - जन्म हो या मरण, शत प्रतिशत पंजीकरण
टोल फ्री नं. 1800-180-6785

ई-मेल : jdvital.des@rajasthan.gov.in, pechchan.nj@gov.in
वेबसाइट - https://pechchan.nj.nic.in

प्रपत्र संख्या 2 पूर्ण करने के लिए अनुदेश : मृत्यु रिपोर्ट

- मद सं. अनुदेश**
- दिनांक, जहाँ कहीं भी आया है, दिदि-मा-नव-रविवर-रुपस्थान में उपस्थित की जायेगी, जहाँ दिदि दो अंकों में दिनांक, मा-मा दो अंकों में मास और रविवर चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहाँ भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहाँ पूर्णरूप में तथा 01-01-2023 को एक जनवरी दो हजार दोसठ लिखी जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियाँ भरने हेतु अंग्रेजिक/यूनिक्स तथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया जायेगा।
 - यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक है, तो आयु पूर्ण वर्षों में दीजिए। यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से कम हो तो आयु मास में दीजिए और यदि आयु 1 मास से कम हो तो पूर्ण दिनों में और यदि एक दिन से कम हो तो घंटों में दीजिए।
 - पता जहाँ कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का नाम, जिला, उप-जिला/तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो), पॉस्टल (मोहल्ला), मकान संख्या और पिन कोड भरें।
 - मृत्यु के स्थान के लिए समुचित प्रविष्टि पर सही का निशान लगायें
1. अस्पताल/संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान

- "अस्पताल/संस्था" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहाँ मृत्यु हुई है, लिखें।
- मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्राम-जहाँ मृतक प्रायः रहता था। यह उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहाँ मृत्यु हुई। घर का पता मरना अपेक्षित नहीं है।
- व्यवसाय - निम्नलिखित में से कोई एक लिखें।
1. कृषक
2. कृषि मजदूर
3. दैनिक मजदूरी/उपासित करने वाला (कृषि मजदूर के अलावा)
4. एकल/पारिवारिक कर्मकार/स्वनिर्भोजित
5. निर्योक्त
6. सरकारी कर्मचारी
7. निजी कर्मचारी (परिवृत सहायक के अतिरिक्त)
8. परवृत सहायक
9. गैर-कर्मकार
- टिप्पणी :- सूचनादाता यह सुनिश्चित करेगा कि मृत्यु रिपोर्ट प्रारूप में कोई भी मद अध्यास्य, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

Application for Registration of Marriage
(Fill the application for registration of marriage both in Hindi & English)
विवाह पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र
(विवाह पंजीयन आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरें)

The Marriage Registrar
श्रीमान विवाह पंजीयन अधिकारी

I have to apply for marriage registration. Particulars are given below :-

मुझे विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। विवरण निम्नानुसार है:-

Detail in English (In Block Letter)

(A) Details of Bridegroom

Name of husband :
Name of husband's father :
Name of husband's mother :
Caste : Citizen : Qualification :
Permanent Address :
Distt : State :

विवरण हिन्दी में

(A) वर का विवरण :

पति का नाम :
पति के पिता का नाम :
पति की माता का नाम :
जाति : नागरिकता : शैक्षणिक योग्यता :
स्थायी पता :
जिला : राज्य :
धर्म : मोबाइल नं. : ई-मेल आई.डी. :
जन्म तिथि : आधार सं. : जनआधार कार्ड सं. :

Detail in English (In Block Letter)

(B) Details of Bride

Name of wife :
Name of wife's father :
Name of wife's mother :
Caste : Citizen : Qualification :
Permanent Address :
Distt : State :

विवरण हिन्दी में

(B) वधू का विवरण

पत्नी का नाम :
पत्नी के पिता का नाम :
पत्नी की माता का नाम :
जाति : नागरिकता : शैक्षणिक योग्यता :
स्थायी पता :
जिला : राज्य :
धर्म : मोबाइल नं. : ई-मेल आई.डी. :
जन्म तिथि : आधार सं. : जनआधार कार्ड सं. :

(C) Details of Marriage :

Address of place of Marriage :
Distt : State : Date of Marriage :

विवरण हिन्दी में

(C) विवाह संबंधी विवरण :

विवाह स्थल का पता :
जिला : राज्य : विवाह दिनांक :

विवाह का पंजीयन नहीं करवाया गया है। आवेदक को विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वैवाहिक पक्ष वर एवं वधू के हस्ताक्षरसुदा (अंगूठा निशानीसुदा) फोटो नौचे चस्पा किये गये हैं।

पति (श्री) पत्नी (श्रीमती)



प्रथम गवाह

हस्ताक्षर :
नाम :
पिता का नाम :
पता :
मोबाइल नं. : आधार नं. :
कृपया फीस के पेटे रूपये जमा करवाकर एवं विवाह पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी कराने का कष्ट करावें।

द्वितीय गवाह

हस्ताक्षर :
नाम :
पिता का नाम :
पता :
मोबाइल नं. : आधार नं. :

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री आयु निवासी
यह घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त प्रोवेदन में दी गई सूचना एवं जानकारी सही एवं सत्य है। दी गई सूचना एवं जानकारी असत्य पाई जाने पर राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2009 के प्रावधान के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सम्बन्धी, लाम और सेवाओं का लिखित परिधान) अधिनियम, 2016 के तहत सहमति देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
आवेदक का पूरा नाम व पता
आवेदक का वर/वधू से सम्बन्ध आवेदक का आधार नम्बर
आवेदक का मोबाइल नं. :

संलग्न :-

- वर व वधू की संयुक्त तीन फोटो (6"X3" साइज)
- वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज
- वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- वर व वधू का अलग-अलग (शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित)
- विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित)
- आवेदक का फोटो पहचान पत्र एवं पते के दस्तावेज
- जनआधार कार्ड

जन्म,मृत्यु एवं विवाह पंजीयन

“पहचान”

भविष्य का काम बनाये आसान

हमारा लक्ष्य जन्म हो या मरण,शत प्रतिशत पंजीयन

अपने परिवार में हुए जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य करायें

पंजीयन करवाने पर जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र

निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है

जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन की सुविधा आमजन/ई.मित्र पर उपलब्ध है

कार्यालय जिला रजिस्ट्रार (जन्म,मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) जयपुर
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कलक्ट्रेट जयपुर, राजस्थान